रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 1992/आश्विन 8, 1914
No. 188] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 1992/ASVINA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1992

संख्या 8/1/92-पी.बी.सी.:—भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में दूरदर्शन के मैट्रो चैनलों और आकाशवाणी के एफ.एम. चैनलों पर समय स्लॉट के आबंटन की स्कीम को जैसा कि अनुबंध में है अधिसूचित करती है।

का. अ. वरदन, अपर सचिव

अनुबंध

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में दूरदर्शन के महानगर चैनलों तथा आकाशवाणी के एफ.एम. चैनलों पर समय आबंटन करने की योजना।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) इस योजना का नाम दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानगर चैनलों पर समय का आबंटन करने की योजना है।

(ख) यह तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

2. परिभाषाएं

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में—

(1) चैनल से अभिप्रेत दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के महानगरों में टी.वी. अथवा एफ.एम. रेडियो चैनल से है।

(2) राष्ट्रपति से अभिप्रेत भारत का राष्ट्रपति है।

(3) सरकार से अभिप्रेत केन्द्रीय सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है।

(4) परिषद से अभिप्रेत भारतीय प्रसारण परिषद से है।

(5) अध्यक्ष से अभिप्रेत भारतीय प्रसारण परिषद का अध्यक्ष है।

(6) सदस्य से अभिप्रेत प्रसारण परिषद का सदस्य है।

3. प्रसारण परिषद

एक प्रसारण परिषद होगी जिसका एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे जो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष कोई विख्यात और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अन्य सदस्यों

में *दूरदर्शन/आकाशवाणी के महानिदेशक और दूरदर्शन/आकाशवाणी के मुख्य इंजीनियर और सूचना और प्रसारण मंत्री का एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य होंगे। अन्य सदस्य प्रतिष्ठित एवं विख्यात मीडिया कर्मी, लेखक और नाटककार, अभिनेता और फिल्म कर्मी होंगे जिन्हें इलैक्ट्रानिक मीडिया की जानकारी और विशेषज्ञता प्राप्त हो।

*टिप्पणी :—जब दूरदर्शन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श होगा तो दूरदर्शन के महानिदेशक और मुख्य इंजीनियर सदस्य होंगे। इसी तरह जब आकाशवाणी से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श होगा तो आकाशवाणी के महानिदेशक और मुख्य इंजीनियर सदस्य होंगे।

4. परिषद का कार्यकाल

परिषद का कार्यकाल उसकी स्थापना की तारीख से तीन वर्ष अथवा नई परिषद की नियुक्ति तक होगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों की रिक्तियां परिषद की शेष अवधि के कार्यकाल के लिए ही भरी जाएंगी।

5. सदस्यों की शर्तें

अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उच्च श्रेणि प्राप्त समितियों के सदस्यों पर लागू यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

6.(1) परिषद के कार्य

परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी :

(क) टेलीविजन/रेडियो चैनल पर समय आवंटित करने के प्रयोजन से, परिषद सार्वजनिक सूचना जारी कर व्यक्तियों से, जो भारत के नागरिक होंगे/कंपनियों से जिनमें भारतीय शेयरहोल्डरों का बहुमत होगा/भागीदारी फर्मों से, जिनके समस्त भागीदार भारत के नागरिक होंगे, आवेदन आमंत्रित करेगी।

(ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन के चैनलों पर कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस जारी करेगी और उपयुक्त समय का आवंटन करेगी।

(ग) लाइसेंसधारी द्वारा टेलीकास्ट/प्रसारित कार्यक्रम की समीक्षा करेगी।

(घ) लाइसेंसों के आत्मसमर्पण और रद्दकरण पर विचार करेगी, निर्णय लेगी और कार्यवाही करेगी।

(ङ) चैनलों पर कार्यक्रमों के लिए गुणवत्ता के आधार तय करेगी।

(च) इस योजना के अंतर्गत लाइसेंसधारियों द्वारा टेलीकास्ट/प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में शिकायतें/कठिनाईयों को दूर करने के लिए मंच प्रस्तुत करेगी।

6.(2) सरकार द्वारा निर्देश

इस योजना के लिए सरकार को समय-समय पर निर्देश जारी करने और मार्गनिर्देश निर्धारित करने का अधिकार होगा और परिषद ऐसे निर्देशों और मार्गनिर्देशों के लिए जिम्मेदार होगी।

7. लाइसेंसधारियों के लिए पात्रता मापदण्ड

इस योजना के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक निर्माताओं के लिए यह जरूरी है कि वे निम्नलिखित मापदण्डों को पूरा करते हों :

(क) भारत का नागरिक हो, (व्यक्तियों के लिए) कम्पनियों, जिनमें भारतीय शेयर होल्डरों का बहुमत हो/भागीदारी फर्में जिनके समस्त भागीदार भारत के नागरिक हैं।

(ख) दिवालिया घोषित न किया गया हो या किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध न ठहराया गया हो।

(ग) वित्तीय स्थिति का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(घ) इस योजना के अंतर्गत मार्गनिर्देशों का अनुपालन करने के लिए लिखित में इच्छा की पुष्टि करनी चाहिए।

(ङ) लिखित रूप में यह आश्वासन देना चाहिए कि लाइसेंस में निर्दिष्ट सभी शर्तों अथवा परिषद अथवा सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अनुवर्ती निदेश का पालन करेगा।

(च) समाचारों से सम्बद्ध कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले आवेदक का उस चैनल द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र में कोई समाचार पत्र/पत्रिका नहीं होनी चाहिए जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया हो।

(छ) आवेदक का टेलीविजन/रेडियो कार्यक्रम, फीचर फिल्मों, वीडियो फिल्मों, वीडियो पत्रिकाओं, वृत्तचित्रों आदि का निर्माण करने का प्रमाणित रिकार्ड होना चाहिए।

8. लाइसेंस के लिए आवेदन

परिषद समय के उचित अंतराल के बाद सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दूसरे चैनल पर समय के आवंटन की इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित करेगी। ऐसे आवेदकों को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1000/- रुपये की रकम अदा करनी होगी।

9. समय का आवंटन

केन्द्रीय परिषद को इस योजना के प्रयोजन के लिए चैनल पर समय की उपलब्धता के बारे में बताएगी। परिषद सफल आवेदकों को सम्बद्ध चैनलों पर उपयुक्त समय का आवंटन करेगी। परिषद आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय रेडियो आवृत्ति प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित तकनीकी आयाम के अनुपालन की निगरानी करेगी।

10. इस योजना के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले मार्गनिर्देश

(1) कार्यक्रमों द्वारा आकाशवाणी प्रसारण संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा जिनमें निम्नलिखित की मनाही की गई है :

(क) मित्र देशों की आलोचना;

(ख) धर्म अथवा समुदायों पर आक्षेप;

(ग) अश्लील या मानहानिकारक बातें;

(घ) जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता हो अथवा जिससे कानून और व्यवस्था न बनाई रखी जा सकती हो;

(ङ) ऐसी कोई बात जिससे न्यायालय की अवमानना हो;

(च) जिसमें राष्ट्रपति तथा न्यायाधिकारी की न्यायनिष्ठा की निन्दा की गई हो;

(छ) राष्ट्र की एकता पर प्रभाव डालने वाली कोई बात; और

(ज) किसी व्यक्ति के नाम से आलोचना।

(2) लाइसेंसधारी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लागू विज्ञापन संहिता का और उनमें भविष्य में किए जाने वाले संशोधनों का पूरा-पूरा पालन करेगा।

(3) ये कार्यक्रम चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 5(ख) और सरकार द्वारा समय-समय पर फिल्म प्रमाणीकरण के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी मार्गनिर्देशों के उपबंधों के अनुरूप होंगे।

(4) इन कार्यक्रमों द्वारा कापीराइट के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

(5) चैनल द्वारा अपने प्रसारण समय का कम से कम 20 प्रतिशत ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे जो परिषद की दृष्टि से समाज सापेक्ष और विकास प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) चैनल द्वारा राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे जिनके लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निदेश दिए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश शामिल होंगे।

(7) चैनल द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का उपयोग किसी राजनीतिक दल के हितों को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में नहीं किया जाएगा।

(8) चुनाव के दौरान चैनल द्वारा राजनीतिक पार्टियों द्वारा अथवा उनके बारे में प्रसारणों में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

(9) किसी विवाद के मामले में कार्यक्रमों में सभी दृष्टिकोणों को उचित और निष्पक्ष रीति से प्रस्तुत किया जाएगा।

11. गुणवत्ता क्रम (क्वालिटी रेटिंग)

परिषद् उसके द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के आयामों के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करेगी। जिन लाइसेंसधारियों के कार्यक्रम विषयवस्तु और तकनीकी आयामों के, अर्थात् दोनों दृष्टियों से न्यूनतम सीमा से कम पाए जाएंगे उन्हें लिखित रूप से अपने कार्यक्रमों में आवश्यक रूप से सुधार करने के लिए लिखित रूप में कहा जाएगा। लाइसेंसधारियों के लाइसेंसों के नवीकरण पर विचार करते समय उनके कार्यक्रमों की गुणवत्ता का पूर्व रिकार्ड अनिवार्य माप-दण्ड होगा। परिषद् कार्यक्रम की गुणवत्ता के मूल्यांकन के परिणाम समय-समय पर प्रकाशित भी करेगी।

12. शिकायतों को दूर करना

इस योजना के अंतर्गत किसी लाइसेंसधारी द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम विशेष के खिलाफ किसी व्यक्ति अथवा संस्था से लिखित शिकायत प्राप्त होने पर परिषद् लाइसेंसधारी के परामर्श से, यदि ऐसा करना जरूरी हो, जांच करेगी और यदि शिकायत सिद्ध हो जाती हो तो उचित उपचारात्मक कार्रवाई करेगी। परिषद् लाइसेंसधारी को उसके निष्कर्ष प्रसारित करने का निदेश दे सकती है और यदि आवश्यक हो तो लाइसेंस स्थगित करने/रद्द करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।

13 लाइसेंस का स्थगन/रद्दकरण अनिवार्य न समझा जाए तब तक लाइसेंसधारी को कार्यक्रम की मार्गनिर्देशों/लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा और उसे स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस स्पष्टीकरण पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा और निर्णय की सूचना लाइसेंसधारी को दे दी जाएगी।

14. लाइसेंस का नवीकरण

इस योजना के अंतर्गत जारी किसी लाइसेंस के नवीकरण पर निर्णय लेने के लिए लाइसेंस में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से 6 महीने पूर्व परिषद् कार्रवाई शुरू कर देगी। परिषद् इस संबंध में निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्णय लेगी :

(क) वर्तमान लाइसेंस की अवधि के दौरान लाइसेंसधारी का कार्य-निष्पादन।

(ख) लाइसेंसधारी द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का गुणवत्ता क्रम।

(ग) अन्य कम्पनियों से समान प्रकरण/विषय पर प्राप्त प्रस्ताव।

(घ) किसी एक समय में चैनल के कार्यक्रम संबंधी समूची आवश्यकता को देखते हुए किसी विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता।

15. सरकार द्वारा चैनलों का नियंत्रण

युद्ध अथवा दैवी आपदा की स्थिति में सरकार, लोकहित में, आदेश के जरिए, इस योजना के अंतर्गत जारी लाइसेंसों के अधीन सभी प्रसारणों का तथा/अथवा प्रबंध अपने हाथ में ले सकती है।

16. लाइसेंस शुल्क

लाइसेंसधारियों द्वारा देय लाइसेंस राशि का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

17. संदेहों को दूर करना

इस स्कीम के किसी प्रावधान के अर्थात् निर्णय के बारे में संदेह होने पर मामले को निर्णय के लिए सरकार को भेजा जाएगा।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th September, 1992

No. 8|1|92-PBC.—The Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, hereby notify the "Scheme of Allotment of Time Slo's on the Metro Channels of Doordarshan and FM Channels of All India Radio in Delhi, Bombay, Madras and Calcutta" as in Annexure.

K. A. VARADAN, Addl. Secy.

ANNEXURE

The Scheme of allotment of time slots on the Metro Channels of Doordarshan and FM Channels of All India Radio in Delhi, Bombay, Madras and Calcutta

1. Short Title and Commencement :

(a) This Scheme may be called the Scheme for allotting time slots on the Metro Channels of Doordarshan and All India Radio;

(b) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions :

In this Scheme, unless the context otherwise requires—

(i) 'Channel' means Television or F. M. Radio Channel in metropolitan cities of Delhi, Bombay, Madras and Calcutta.

(ii) 'President' means President of India.

(iii) 'Government' means Ministry of Information and Boradcasting of the Central Government.

(iv) 'Council' means Broadcasting Council of India.

(v) 'Chairman' means Chairman of the Broadcasting Council of India.

(vi) 'Member' means Member of the Broadcasting Council.

3. Broadcasting Council

There shall be a Broadcasting Council comprising a Chairman and eight other members which shall be appointed by the Government by issue of notification in the Official Gazette. The Chairman shall be a person of stature and eminence. Of the other

members, Director General, Doordarshan|All India Radio, Engineer-in-Chief, Doordarshan|All India Radio* and a representative of Ministry of Information and Broadcasting will be ex-official members. Other members shall be drawn from amongst media persons, authors, playwrights, performing artists and film personalities of stature and eminence with knowledge and expertise of electronic media.

(*Note : When matters relating to Doordarshan are being deliberated, DG: Doordarshan and Engineer-in-Chief, Doordarshan would be members. Likewise when matters relating to AIR are being deliberated DG: All India Radio and Engineer-in-Chief, All India Radio would be members)

4. Tenure of the Council :

The Council shall have a tenure of 3 years from the date of its formation or till a new Council is appointed Vacancies of Chairman and the members shall be filled up only for the unexpired part of the tenure of the Council.

5. Terms and Conditions of members :

Chairman and members other than ex-officio members will be paid travelling and daily allowance as applicable to members of the high-powered committees as laid down by the Central Government from time to time.

6. (i) Functions of the Council :

The Council shall perform the following functions :

(a) Invite applications by issue of public notice from individuals who should be citizens of India|companies with majority Indian shareholding|partnership firms all of whose partners should be citizens of India for the purpose of allotment of time slots on the television|radio channels.

(b) Issue licence and allocate suitable time slots for the programmes on the channels of AIR|Doordarshan.

(c) Review the programmes telecast|broadcast by the licensees.

(d) Consider, decide and take action for suspension|revocation of licence.

(e) Decide the quality parameters for the programmes on the channels.

(f) Act as the forum for redressal of complaints|grievances in respect of the programmes telecast|broadcast by the licensees under this Scheme.

6. (ii) Directions by the Government :

Government will have the power to issue directions and lay down policy guidelines in respect of this Scheme from time to time and the Council shall be amenable to such directions and guidelines.

7. Eligibility Criteria for Licensees :—The producers interested in obtaining a licence under this Scheme should meet the following criteria :—

(a) Should be a citizen of India (for individuals)|company with majority Indian shareholding|partnership firm all of whose partners are citizens of India.

(b) Should not have been declared as insolvent or convicted in a criminal case.

(c) Should produce sufficient evidence of sound financial standing.

(d) Must confirm in writing, willingness to abide by the guidelines spelt out in this Scheme.

(e) Should furnish a written undertaking to conform to all the conditions specified in the licence or any subsequent directive of the Council or Government.

(f) Applicants interested in news|news related programmes must not be owning any newspaper|magazine in circulation in the area covered by the channel for which application is made.

(g) Applicants should have proven track-record in producing television|radio programmes, feature films, video films, video magazines, documentaries etc.

8. Application for licence :

The Council shall invite applications from parties desirous of allotment of time slots on the second channel by giving a public notice at appropriate intervals. Such applicants shall pay a sum of Rs. 1000 as processing fee.

9. Allocation of time slots :

The Government shall indicate from time to time to the Council the availability of time slots on the relevant channel for the purpose of this Scheme. The Council shall allocate to the successful applicants the appropriate time slots on relevant channels. The Council shall oversee through AIR|Doordarshan the adherence to the stipulated technical parameters for ensuring national radio frequency management.

10. Guidelines governing the programmes put out under this Scheme .

(i) The programmes shall not violate the AIR Broadcast Code which prohibits the following :

(1) Criticism of friendly countries;

(2) Attack on religious or communities.

(3) Anything obscene or defamatory;

(4) Incitement to violence or anything against maintenance of law & order;

(5) Anything amounting to contempt of court;

(6) Aspersions against the integrity of the President and Judiciary;

(7) Anything affecting the integrity of the Nation; and,

(8) Criticism by name of any person.

(ii) The licensee will fully conform to the advertisement code which are applicable to All India Radio and Doordarshan and to future modifications therein.

(iii) The programme shall confrom to the provisions of Section 5 (B) of the Cinematograph Act, 1952 and guideliness issued thereunder for film certification by the Government from time to time.

(iv) The programmes should not infringe the provisions of the Copyright Act.

(v) The channel must carry at least for twenty per cent of its broadcasting time, programmes considered by the Council to be socially relevant and necessary for developmental purposes.

(vi) The channel shall carry such programmes of importance to the Nation as may be directed by the Government from time to time. This would include Addresses to the Nation by the President and the Prime Minister.

(vii) The programmes broadcast by the channel should not be the means for furtherance of the interests of any political party.

(viii) During election time, in respect of broadcast by or about political parties, the chanel shall conform to the guidelines issued by the Election Commission of India.

(ix) While dealing with any matter of controvesy, the programmes shall present all points of view in a fair and impartial manner.

11. Quality Rating :

The Council shall periodically review the programmes but out by the licencees based on the quality parameter determined by it. Licensees whose programmes are found to be below the threshold both in terms of contents and technical parameters shall be asked in writing, to effect the necessary improvements in their programmes. The track record of licensees in terms of the quality of their programme would form an essential criteria at the time of considering renewal of their licence. The Council shall also publish periodically the results of this evaluation of the quality of the programme.

12. Redressal of Grievance :

The Council on receipt of a written complaint from an individual or institution against any particular programme put out by a licensee under this Scheme shall examine it, in consultation with the licensee, if considered necessary, and take appropriate corrective action if the complaint is sustained. The Council may direct the licensee to broadcast its findings and if necessary, take action to suspend/revoke the licence.

13. Suspension/Revocation of Licence :

The Council may on repeated infringement of the guidelines for programmes by the licensees, or on account of the non-compliance with the conditions specified in the licence, suspend or revoke the said licence, However, unless immediate suspension/ revocation of the licence is considered essential in public interest, the licensee shall be informed in writing about the infringement of the programme guidelines/ conditions of the licence, and given 15 days time to furnish his explanation. This explanation will be examined by the Council and its decision communicated to the licensee.

14. Renewal of Licence :

The Council shall initiate action for deciding on the renewal of any licence issued under this Scheme six months prior to the expiry of the period specified in the licence. The Council shall take a decision in the matter on the basis of the following criteria :

(a) Performance of the licensee during the period of the existing licence.

(b) Quality rating of the programmes produced by the licensee.

(c) Proposals on similar theme/subject received from other companies.

(d) Need for a particular programme in the overall programme requirement of the channel at a given time.

15. Control of the Channels by Government :

In the event of war or natural calamity the Government may, in public interest, through an order, take over the control and/or management of all broadcasting under the licences issued under this Scheme.

16. Licence Fee :

The amount of licence fee payable by the licensee shall be as determined by the Government from the to time.

17. Removal of Doubts :

Where a doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of this Scheme, the matter shall be referred to the Government for decision.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993